उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा (7) अनुभाग
संख्या– 5089 /15-7-2001-1(26)/94
लखनऊ: दिनांक : 07 अगस्त, 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1982) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2001

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 12 के उपनियम (4), (5) और (7) का संशोधन — 2– उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 12 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (4), (5) और (7) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप-नियम क्रमशः रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उपनियम	एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(4) बोर्ड, प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए लिखित परीक्षा में अंक और अनुभव के लिए अंकों की सूचियाँ यथास्थिति, परिशिष्ट "ख" या परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता बिन्दु के आधार पर निम्नानुसार तैयार करेगी :–	(4) बोर्ड, प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यता के लिए अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार करेगा :–
(एक) गुणवत्ता बिन्दु के आधार पर 30 प्रतिशत अंक :	(क) लिखित परीक्षा के आधार पर 85 प्रतिशत अंक :

(दो) लिखित परीक्षा के आधार पर 40 प्रतिशत अंक, और

(तीन) अपेक्षित अनुभव से अधिक अनुभव के लिए 20 प्रतिशत अंक, ऐसी रीति से कि डाक्टर की उपाधि रखने पर 4 अंक और ऐसे अनुभव के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 16 अंक दिये जायेंगे ।

टिप्पणी :-

(1) इस प्रयोजन के लिए शिक्षण अनुभव की गणना केवल मान्यता प्राप्त हाई-स्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज या जूनियर हाईस्कूल के लिए की जायेगी और ऐसे प्रमाण-पत्र में वास्तविक रूप से नियुक्ति के दिनांक, पदग्रहण के दिनांक और वेतनमान का उल्लेख किया जायेगा और प्रधानाचार्य/प्रधान अध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले प्राधिकारी के पूरे नाम के साथ पद-स्थिति, जिला विद्यालय निरीक्षक या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा ।

(2) इस संबंध में प्रस्तुत की गयी किसी गलत सूचना पर ऐसे अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया जायेगा और

(छः) साक्षात्कार के आधार पर 10 प्रतिशत अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किये जायेंगे, अर्थात्:

(एक) सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक,

(दो) व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक,

(तीन) अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक,

(सात) निम्नलिखित विशेष योग्यता के आधार पर 5 प्रतिशत अंक, अर्थात्:

(एक) डाक्टर की उपाधि रखने के लिए 2% अंक :

(दो) शिक्षा-निष्णात (एम.एड.) की उपाधि रखने के लिए 2% अंक,

(तीन) शिक्षा-स्नातक (बी.एड.) की उपाधि के लिए 1% अंक :
परन्तु किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने उपखण्ड (दो) के अधीन अंक प्राप्त कर लिए हों, इस उप खण्ड के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा ।

(चार) किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए 10% अंक,

(पाँच) <u>दो्ई, प्रधान अध्यापक और प्रधानाचार्यों के पद के लिए चयन के संबंध में अंकों का निम्नलिखित रीति से आवंटित करेंगी :-</u>

(एक) परिशिष्ट "घ" में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता

-----3..

और इसके लिए अभ्यर्थी पूर्णतया स्वयं उत्तरदायी होगा ।

बिन्दु के आधार पर 60% अंक,

(दो) अपेक्षित अनुभव से अधिक अनुभव रखने के लिए 16% अंक, ऐसी रीति से कि 1% अंक, ऐसे अनुभव के प्रत्येक वर्ष के लिए, अधिकतम 16% अंकों के अधीन रहते हुए, प्रदान किया जायेगा,

(तीन) ख्यातिप्राप्त पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध-पत्र के लिए 2% अंक, ऐसी रीति से कि 1/2% अंक, ऐसे प्रत्येक शोध-पत्र के लिए अधिकतम 2% अंकों के अधीन रहते हुये आवंटित किया जायेगा ;

(चार) डाक्टर की उपाधि रखने के लिए 7% अंक या शिक्षा-निष्णात (एम.एड.) के लिए 3% अंक :

परन्तु इस खण्ड के अधीन केवल एक ही उपाधि पर विचार किया जायेगा ।

अनुभव की गणना करने के प्रयोजन के लिए प्रधान अध्यापक के चयन के मामले में जूनियर हाईस्कूल के प्रधान अध्यापक के रूप में या हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट कालेज में सहायक अध्यापक के रूप में की गयी सेवा और प्रधानाचार्य के चयन के लिए किसी हाईस्कूल के प्रधान अध्यापक या प्रवक्ता के रूप में की गयी सेवा की गणना की जायेगी ।

(5) बोर्ड प्रधान अध्यापक और प्रधानाचार्यों के पद के लिए चयन के संबंध में अंकों को निम्नलिखित रीति से आवंटित करेगी :-

(एक) परिशिष्ट "ग" में निर्दिष्ट गुणवत्ता बिन्दु के आधार पर 60 प्रतिशत अंक,

(दो) अपेक्षित अनुभव से अधिक अनुभव रखने के लिए 20 प्रतिशत अंक, प्रत्येक प्रकाशित शोध-पत्र के लिए 1 अंक अधिकतम 4 अंक और ऐसे प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक अधिकतम 16 अंक के साथ और

(तीन) डाक्टर की उपाधि रखने वालों के लिए 10 प्रतिशत अंक ।

टिप्पणी-

अनुभव की गणना करने के प्रयोजन के लिए प्रधान अध्यापक के चयन के मामले में जूनियर हाईस्कूल के प्रधान अध्यापक के रूप में या हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट कालेज में सहायक अध्यापक के रूप में की गयी सेवा और प्रधानाचार्य के चयन के लिए किसी हाईस्कूल के प्रधान अध्यापक या प्रवक्ता के रूप में की गयी सेवा की ही गणना की जायेगी । अनुभव के प्रमाण-पत्र के संबंध में नियम 12 के उपनियम (4) का उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा ।

(पांच) बोर्ड अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा और साक्षात्कार के लिए 15% अंक आवंटित किये जायेंगे ।

साक्षात्कार में अंकों को निम्नलिखित रीति से विभाजित किया जायेगा अर्थात:

(क) विषय/सामान्य ज्ञान के आधार पर 6% अंक ;

(ख) व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 4% अंक ;

(ग) अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 5% अंक ।

(7) बोर्ड, अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा और साक्षात्कार के लिए 10 प्रतिशत अंक आवंटित होंगे। पात्र अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा और गुणवत्ता बिन्दु में प्राप्त किये गये अंकों को साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों को प्रकट नहीं किया जायेगा, परन्तु यह कि साक्षात्कार में 10 प्रतिशत अंकों को निम्नलिखित रीति से विभाजित किया जायेगा:- (एक) विषय/सामान्य ज्ञान के आधार पर, 4 प्रतिशत अंक, (दो) व्यक्तित्व के आधार पर 3 प्रतिशत अंक, और (तीन) अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर, 3 प्रतिशत अंक	(7) अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा उप-नियम (5) में यथानिर्दिष्ट गुणवत्ता बिन्दु में प्राप्त किये गये अंकों को साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों को प्रकट नहीं किया जायेगा।

नियम 15 और 16 का निकाला जाना

3-उक्त नियमावली में, नियम 15 और 16 को निकाल दिया जायेगा।

परिशिष्ट "ख", "ग" और "छ" का निकाला जाना।

4- उक्त नियमावली में परिशिष्ट "ख", "ग", और "छ" को निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(नीरा यादव)
प्रमुख सचिव,
शिक्षा।

6

पृ०सं०- 5089 (1)/15-7-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त अधीक्षक राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद की प्रति के साथ इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (क) दिनांक-28-7-2001 में प्रकाशित करें। इस प्रयोजन हेतु सचिव, शिक्षा विभाग की अनुमति ले ली गयी है। कृपया प्रकाशित अधिसूचना की 150 प्रतियाँ अनुभाग अधिकारी, शिक्षा-7 को भेजी जाय।

आज्ञा से,

(अखिलेश चन्द्र गुप्त)
अनु सचिव।

पृ०सं०- 5089 (2)/15-7-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/इलाहाबाद।
2- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8- अपर शिक्षा निदेशक (मा०), (बेसिक), (पत्राचार शिक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9- संबंधित अध्यक्ष उपाध्यक्ष/सदस्य।
10- सदस्य मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
11- क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद/वाराणसी/मेरठ/बरेली/गोरखपुर।
12- समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
14- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,

(अखिलेश चन्द्र गुप्त)
अनु सचिव।